तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो ... हुक्म की तारी... में जारी हुए
26.5.2026	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.5.2016 के विरुद्ध पेश की गयी। न्यायालय हाजा में अपील पेश किए जाने पर अपील दर्ज रजिस्टर कर उत्तरवादीगण को तलब किया गया एवं दिनांक 29.8.2016 को स्थगन प्रार्थना-पत्र पर आदेश दिए गए कि विवादित आराजी की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी 10.10.2016 तक बनाये रखें। उसके उपरान्त दिनांक 2.9.2016 को यह आदेश पारित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम स्थगन पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.5.2016 का क्रियान्वयन एवं प्रभाव स्थगित किया जाता है। उत्तरवादीगण गोपी पुत्र पेमा के वारिसान श्रीमती चन्दर वगैरह ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 2.9.2016 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी/टी.ए./6555/2016 जिला भरतपुर पेश की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 23.9.2016 के द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.9.2016 को निरस्त कर दिया। मा. राजस्व मण्डल ने निर्णय दिनांक 23.9.2016 में यह भी माना है कि इस अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25.5.2016 पर दिनांक 28.8.2016 एवं 2.9.2016 को भिन्न भिन्न आदेश पारित करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जो नियत तारीख पेशी तक विचारण न्यायालय द्वारा पारित की है, के विरुद्ध प्रतिवादी अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अपीलीय न्यायालय के समक्ष संधारणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के वकील की एकपक्षीय बहस सुनकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.7.2016 तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया गया था कि वादग्रस्त आराजी वर्णित मद नं. 3 प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थीगण के हिस्से की सीमा तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तिम आदेश नहीं होकर अन्तरिम आदेश है जो आगामी तारीख पेशी मात्र तक के लिए था और यह निर्णित प्रकरण की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलार्थी के पास विकल्प था कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय प्राप्त करते। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान की फुल बैंच द्वारा प्रकरण उमराव जगदीश बनाम गोपालदास में पारित निर्णय दिनांक 12.3.2014 (2014 (1) RRT 409) में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि धारा 212 RT Act. के प्रार्थना-पत्र पर पारित वे अन्तरिम आदेश जो एकपक्षीय हैं एवं आगामी तारीख पेशी तक के लिए दिए गए हो, उनकी अपील अन्तर्गत धारा 225 RT Act. के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए हस्तगत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने न्यायालय में लम्बित प्रार्थना-पत्र 68/2016 अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को आगामी 2 माह में उभयपक्ष को सुनकर अन्तिम रूप से निस्तारित करें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पुनः भेजी जावे। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)	